कार्यालय जिला पंचायत गुना म0प्र0
''जिला पंचायत गुना की दुकानों को किराये पर दिये जाने हेतु''

-:: नीलामी विज्ञापन ::-

जिला पंचायत, गुना के स्वामित्व की नव निर्मित दुकानें, ए.बी. रोड़ (गायत्री मंदिर के सामने पी.जी. कॉलेज की ओर) दुकान क्रमांक– 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक (10 दुकानें) मासिक किराये पर दिये जाने हेतु दिनांक 05.08.2017 को दोपहर 11:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन नीलामी किया जाना हैः–

1. नीलामी बोली लगाने हेतु रुपये 25,000/– नगद/बैंक ड्राफ्ट जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना के नाम देय हो, बोली प्राप्त होने से पूर्व लेखाधिकारी, जिला पंचायत के पास राशि जमा कर रसीद प्रस्तुत करने पर खुली बोली नीलामी में शामिल किया जावेगा।
2. किराये पर दिये जाने की न्यूनतम बोली आरक्षित दुकानें क्र. 1, 5, 7, 10, 11, 12 की लागत मूल्य राशि रूपये 1,92,802=00 न्यूनतम होगी। दुकानें क्र. 3 की न्यूनतम बोली रूपये 1,19,771=00, दुकान क्र. 6 की न्यूनतम बोली रूपये 1,99,014=00 तथा दुकान क्र. 8, 9 की न्यूनतम बोली रुपये 5,00,000=00 लाख रहेगी। दुकानें अधिकतम बोली के आधार पर आवंटित की जावेगी।
3. वह व्यक्ति, जिसकी बोली स्वीकार की जाती है, नीलामी बोली की 25 प्रतिशत राशि बोली स्वीकृति के ठीक पश्चात् जिला पंचायत के खाते में जमा करेगा।

   इस रकम में अग्रिम धन के निक्षेप का समायोजन किया जावेगा। यदि वह इस नियम द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार नीलामी मूल्य की 25 प्रतिशत रकम का निक्षेप करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा निक्षिप्त अग्रिम धन संबंधित पंचायत के पक्ष में समपहृत हो जावेगा और नीलामी रद्द किया समझा जावेगा।
4. बोली के पुष्टिकरण की सूचना उसे अधिसूचित किये जाने के 30 दिवस के भीतर अतिशेष का सदाय किया जावेगा तथा अंतरण विलेख निष्पादित किया जावेगा। यदि वह बोली के पुष्टिकरण के 30 दिवस के भीतर अतिशेष रकम का निक्षेप जमा करने पर असफल रहता है, तो उसके द्वारा जमा की गई 25 प्रतिशत रकम संबंधित पंचायत के पक्ष में समपहत हो जाएगी और नीलामीं रद्द किया गया समझा जावेगा।
5. दुकान किराया में प्रति तीन वर्ष पश्चात् 20 प्रतिशत राशि की वृद्धि की जावेगी।
6. निर्धारित मासिक किराया रु. 2000/– + सर्विस टैक्स रहेगा, जो प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। किराया निर्धारित दिनांक को जमा न कराये जाने की स्थिति में प्रथम सप्ताह 25 प्रतिशत, द्वितीय सप्ताह 50 प्रतिशत, तृतीय सप्ताह 75 प्रतिशत तथा अंतिम सप्ताह 100 प्रतिशत बिलंव शुल्क सहित किराया राशि जमा करना होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।

7. उक्त दुकान का मालिकाना (स्वामित्व) जिला पंचायत, गुना का ही रहेगा।
8. किराया अनुबंध बोलीकर्त्ता के नाम ही किया जावेगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
9. नीलामी से पूर्व नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा दुकानों का अवलोकन कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।
10. विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गुना का निर्णय मान्य होगा।
11. बोली निरस्त या स्थगित करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गुना का होगा।
12. नीलामी एवं किरायेनामा अनुबंध शर्ते जिला पंचायत गुना कार्यालय में उलब्ध हैं इनका कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।
13. दुकान गृहिता को विद्युत एवं जल की व्यवस्था स्वंय करना होगा।
14. दुकान का तीन माह का किराया अग्रिम जमा कराना होगा।
15. स्वेच्छा से दुकान तीन वर्ष पूर्व खाली करने पर अमानत राशि किसी भी स्थिति में तीन वर्ष के पूर्व वापिस किये जाने योग्य नहीं होगी तथा तीन वर्ष पश्चात् भी दुकान निरंतर रखने की स्थिति में अमानत राशि जिला पंचायत में जमा रहेंगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
16. दुकान की छत पर निर्माण करने एवं उसके उपयोग का अधिकार जिला पंचायत गुना को होगा।
17. दुकान गृाहिता द्वारा दुकान अन्य किसी व्यक्ति को जिला पंचायत की अनुमति के बिना हस्तांतरित एवं किराये पर नहीं दी जा सकेगी।
18. दुकान के सामने किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जावेगा।
19. दुकान में किसी भी प्रकार का अवैध अथवा विस्फोटक सामग्री का व्यवसाय निषेद्ध होगा।
20. उक्त शर्तो का पालन न करने पर अनुबंध स्वतः निरस्त माना जावेगा एवं जमा राशि राजसात कर ली जावेगी।
21. अनुबंध नियमों में परिवर्तन का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना का होगा।
22. किसी भी प्रकार के विवाद होने पर न्याय क्षेत्र गुना होगा।
23. नीलामी एवं अनुबंध पत्र की शर्तो को पालन न करने की स्थिति में दुकान खाली करा ली जायेगी तथा अमानत राशि राजसात कर ली जायेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत गुना म0प्र0